5रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(64)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी
PBR/निगरानी/देवास/भू.रा./2017/4646

प्रार्थी अभिभाषक श्री पी.डी. वर्मा द्वारा प्रस्तुत दिनांक 10.11.2017
10.11.17
अधीक्षक आयुक्त कार्यालय उज्जैन

भारतसिंह पिता श्री मोड़सिंहजी, आयु 58 वर्ष,
निवासी– ग्राम जवासिया तहसील व जिला देवास
-----निगरानीकर्ता/आवेदक

<u>विरूद्ध</u>

1– दरबारसिंह पिता नाथूसिंह आयु 40 वर्ष,
निवासी– ग्राम जवासिया तहसील व जिला देवास

2– मध्य–प्रदेश शासन
व्दारा कलेक्टर महोदय, देवास
---रेस्पान्डेन्ट्स/अनावेदकण

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला देवास व्दारा प्रकरण क्र0 1/अ–70/2016–17 मे पारित प्रोसिडिंग आदेशदिनांक 27–10–2017 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर निगरानी।</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / देवास / भू.रा. / 2017 / 4646

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 27–10–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति निरस्त की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदक साक्ष्य प्रस्तुत करते समय सीमांकन प्रकरण की सत्यप्रतिलिपियां अपने समर्थन में प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। प्रारंभिक स्टेज पर इस आधार पर प्रकरण समाप्त नहीं किया जा सकता । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	